तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी
19/9/25	पत्रावली पेश है। पत्रावली पर प्रकट हुनी आई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार (मु० अ०) करौली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (मु० अ०) करौली द्वारा फर्दी रिपोर्ट क्रमांक (एस.आर.) प्रकरण 3796/ दिनांक 12/8/25 में अवगत कराया है कि ग्राम सलेडी के खसरा नंबर 690 की मिसलबन्द करौली संवत 2015 के कॉलम संख्या 03 में गद्दी मंदिर श्री छाप शिरोमणि जी स्थान करौली अंकित है तथा कॉलम संख्या 5 में नियमानुसार किया कायमी की है तथा ख० नं० 690 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 04.06.1967 तथा सं. नं. 69 दिनांक 14.12.1972 को राजस्थान द्वारा गुर्जर जाति ब्राह्मण के नाम पर खातेदारी की है। अब ख० नं० 690/5 वर्तमान जमाबंदी में श्रीकृष्ण, विष्णु, मदनमोहन पि० राजस्थान, भोगेश कुमारी विजय, शिवानी पुत्रिगण राजस्थान, राजकुमारी पत्नि राजस्थान जाति ब्राह्मण रहित बराबर (देवताओं से संबंधित जोत) खातेदार के रिकॉर्ड है। अतः तहसीलदार (मु० अ०) करौली की रिपोर्ट के अनुसार ख० नं० 690 ग्राम सलेडी देवताओं से संबंधित जोत पर होने कारण डा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होने [illegible] है। आदेश सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2025.11.07 10:37:54 IS
Reason: SelfAttested